राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1228/2015

सत्य नारायण पुत्र श्री रमेश चंद्र उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 106-ए, सेक्टर नं.2, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. हेमंत कुमार पुत्र श्री के.सी. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री गोपाल संधू

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री ललित पारीक, उप जी.सी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय

19/04/2024

1. मुकदमे की अनिश्चितताएं ऐसी हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक बार को छोड़कर, पूरे समय मेहनत की, लेकिन पिछले 20 वर्षों से बिना किसी गलती के उसे पूरी तरह से असहाय छोड़ दिया गया है। इसके बावजूद, उसे इस न्यायालय के समक्ष बार-बार मुकदमेबाजी का सहारा लेना पड़ा है। इसके बारे में बाद में विस्तार से बताया जाएगा।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह विज्ञापन संख्या 1/98 के अनुसार शिक्षक ग्रेड III के पद पर नियुक्ति चाहता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 को नियुक्ति दिए

जाने की तिथि से सभी परिणामी लाभ शामिल हैं। इसके अलावा, वह दिनांक 09.06.2014 के आदेश (अनुलग्नक 13) को रद्द करने की मांग करता है, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 को नियुक्ति दी गई थी, जो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता से योग्यता में कम है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों ने वर्ष 1998 में शिक्षक ग्रेड III के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में भाग लिया और 74.94% अंक प्राप्त किए। हालांकि, उसके बोनस अंकों की कटौती के बाद, उसके अंक घटकर 59.94% हो गए, लेकिन उसका नाम मेधावी उम्मीदवारों की चयन सूची में शामिल था।

3.1 दिनांक 18.12.2003 के पत्र के तहत प्रतिवादियों ने नियंत्रक, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को याचिकाकर्ता की मार्कशीट अन्य अभ्यर्थियों के साथ सत्यापन के बाद भेजने के लिए लिखा था। विश्वविद्यालय ने दिनांक 14.02.2004 के अपने पत्र के तहत याचिकाकर्ता और अन्य चार अभ्यर्थियों के सभी मार्कशीट का सत्यापन किया।

3.2 दिनांक 03.07.2004 के आदेश के तहत प्रतिवादियों ने श्री दीपक कुमार, तेजमल गुप्ता और संजय कुमार को नियुक्ति दे दी, जो याचिकाकर्ता से कम मेधावी हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एस.बी.सी.डब्लू.पी. संख्या 5009/2004 दायर किया। दिनांक 07.01.2014 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने उक्त याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के समक्ष नया अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।

3.3 दिनांक 07.01.2014 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, दिनांक 09.06.2014 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मेरिट सूची अब प्रचलन में नहीं है। इसलिए यह याचिका।

4. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में निम्न प्रकार से बचाव किया गया है:

4.1 मेरिट सूची राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक समय पर जारी परिपत्र दिनांक 10.06.1998 के अनुसार तैयार की गई थी। मेरिट सूची तैयार करते समय एक अभ्यर्थी के लिए जिले के लिए 10 बोनस अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 बोनस अंक शामिल किए गए थे। जिसके अनुसार याचिकाकर्ता मेरिट मानदंड में नहीं आ रहा था। याचिकाकर्ता ने शिक्षा में स्नातक की डिग्री राज्य के बाहर से प्राप्त की थी, इसलिए उसकी डिग्री-प्रमाणपत्र के सत्यापन के अभाव में इस

पर विचार नहीं किया जा सका। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.07.2002 के निर्णय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 10.10.2002 के परिपत्र के अनुपालन में दिनांक 18.11.1999 के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त 10+5 बोनस अंक काटकर नई मेरिट सूची तैयार की गई।

4.2 हालांकि, प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अर्थात 18.11.1999 से पहले इस न्यायालय या भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया। दूसरे शब्दों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उम्मीदवारी पर विचार करने की राहत उन सीमित व्यक्तियों के समूह को दी गई थी, जिन्होंने समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता उस मुकदमे में पक्षकार याचिकाकर्ता/हस्तक्षेपकर्ता नहीं था। वर्तमान रिट याचिकाकर्ता द्वारा विलंबित चरण में दायर की गई है। इसलिए, कैलाश चंद्र शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निर्देशों के मद्देनजर, वह इस न्यायालय से कोई राहत पाने का हकदार नहीं है।

4.3 इसी प्रकार की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्ति दी गई है, लेकिन इस न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा निर्देशों के अनुपालन में। प्रतिवादियों की कार्रवाई में न तो कोई भेदभाव है, न ही कोई मनमानी है। अतः रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर विरोधी दलीलें सुनी हैं तथा केस रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. तथ्यों के उपर्युक्त विवरण से यह उभर कर आता है कि यद्यपि विवाद बहुत ही सीमित दायरे में है, तथापि यह अंतिम सुनवाई के लिए तत्काल याचिका लेने में याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई देरी के कारण निर्णय के लिए लंबित है, जिसे वर्ष 2015 में दायर किया गया था।

7. इस मामले में मुद्दा यह है कि क्या मनमोहन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 4294/2014 एवं अन्य संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01.04.2014 को दिए गए निर्णय के आलोक में, जो कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: (2002) 6 एससीसी 562 में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णय से पहले आया था, याचिकाकर्ता अन्य प्रतिपक्षियों के समान स्थिति में होने के कारण इसका लाभ पाने का हकदार है?

8. उत्तर नकारात्मक है। आइए देखें कैसे।

9. सर्वप्रथम कैलाश चंद शर्मा की उक्त टिप्पणी का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत करना समीचीन होगा:-

> "45. एक और बिंदु जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। कुछ विद्वान वकीलों ने तर्क दिया कि असफल आवेदक को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनके हितों के विरुद्ध है, चयन में भाग लेने और परिणाम की प्रतीक्षा करने के बाद। यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत ऐसे व्यक्तियों को नहीं दी जानी चाहिए। इस तर्क के समर्थन में मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1995) 3 एससीसी 486 और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया है कि असंवैधानिक भेदभाव को चुनौती देने के मामले में, स्वीकृति, रोक और इसी तरह के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं और रिट याचिकाकर्ताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे चयन से पहले आक्षेपित परिपत्र के संवैधानिक निहितार्थों को अच्छी तरह से जानते होंगे। हम इस प्रश्न पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि ऐसी कोई दलील न तो उठाई गई और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष कोई तर्क दिया गया।
>
> 46. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिद्वंद्वी विवादों पर उचित ध्यान देते हुए तथा तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तथा संभावित अधिनिर्णय को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के आलोक में प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित और न्यायसंगत मानते हैं कि राहत केवल उन याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखी जाए जिन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है तथा 18-11-1999 को या उसके बाद की नियुक्तियां याचिकाकर्ताओं के दावों के अधीन किसी भी जिले में की जाएं। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं:

"1. इस निर्णय के आलोक में रिट याचिकाकर्ताओं के दावों पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए, 18-11-1999 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों या चयन सूची में शामिल उन उम्मीदवारों के संबंध में जिन्हें अभी नियुक्त किया जाना है। इस तरह के विचार पर, यदि उन रिट याचिकाकर्ताओं में 10% और/या 5% के बोनस अंकों को छोड़कर बेहतर योग्यता पाई जाती है, तो उन्हें 18-11-1999 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों को हटाकर, यदि आवश्यक हो, नियुक्तियां दी जानी चाहिए।

2. 17-11-1999 तक की गई नियुक्तियों को इस निर्णय में निर्धारित कानून के आलोक में पुनः खोलने और पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

3. अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 542/2000 को खारिज किया जाता है क्योंकि यह उच्च न्यायालय के निर्णय के लगभग एक वर्ष बाद दायर की गई थी और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में पहले से संपर्क न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

10. उपरोक्त के आलोक में, तत्पश्चात, मनमोहन शर्मा (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को और स्पष्ट किया, जो इस प्रकार है:-

"24. एसएलपी संख्या 31818/2012 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि सेवाओं की समाप्ति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुचित थी कि उक्त अपीलकर्ता नवल किशोर शर्मा और अन्य के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट-याचिकाकर्ता था। दानवीर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2200/2000 को उच्च न्यायालय के विद्वान

एकल न्यायाधीश द्वारा नवल किशोर के मामले के साथ 26 फरवरी, 2001 के एक सामान्य आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। उस आदेश को राज्य द्वारा रिट अपील संख्या 130/2001 में चुनौती दी गई थी, लेकिन केवल बैच के अन्य रिट-याचिकाकर्ताओं के संबंध में। दानवीर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष कभी चुनौती के अधीन नहीं आया। परिणामस्वरूप खंडपीठ द्वारा पारित आदेश अपीलकर्ता से संबंधित नहीं था और न ही उसे राज्य द्वारा दायर अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसा होने पर, दानवीर सिंह की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त करना कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष रिट-याचिकाकर्ता नहीं था, न्यायोचित नहीं था। यह तर्क दिया गया कि महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट-याचिकाकर्ता था, जिसके आधार पर नवल किशोर के मामले (उपरोक्त) में निर्णय आया। यह तथ्य कि राज्य ने दानवीर सिंह के पक्ष में पारित आदेश को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना था, उक्त अपीलकर्ता को उन लोगों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में नहीं डाल सकता था, जिनके खिलाफ राज्य ने पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष और बाद में इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी।

25. हमारी राय में, अपीलकर्ता दानवीर सिंह के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क में पर्याप्त योग्यता है। यहां तक कि प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री मंगल शर्मा ने भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि कैलाश चंद शर्मा के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के आदेश के सही और उचित अर्थ में, दानवीर सिंह को नियुक्ति का लाभ केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पक्ष में पारित आदेश पर राज्य द्वारा आपत्ति नहीं की गई थी या क्योंकि उन्हें राज्य

द्वारा दायर अपील में सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इस दृष्टि से दानवीर सिंह की सेवाओं की समाप्ति को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

26. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अंत में तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी और वे लगभग एक दशक से उन स्कूलों में सेवा कर रहे हैं, जहां वे तैनात हैं। उनकी नियुक्तियां इस न्यायालय के आदेश की व्याख्या में एक सद्भावनापूर्ण त्रुटि के आधार पर की गई थीं, लेकिन जब तक अपीलकर्ताओं द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी, तब तक कोई कारण नहीं था कि उन्हें इतनी लंबी सेवा अवधि के लाभ से वंचित किया जाए। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपीलकर्ता अब तक शिक्षकों के रूप में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए यह न्यायालय भविष्य की भर्तियों में आयु सीमा में छूट देते हुए उनके मामलों पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

27. अपीलकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी और वे लगभग एक दशक से सेवारत हैं, लेकिन आरोप हैं कि ऐसी नियुक्तियाँ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थीं। हम इस पहलू पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते क्योंकि हमें सूचित किया गया है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी, चाहे नियुक्तियाँ गलत तरीके से प्रस्तुत करके या संबंधित अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई हों या नहीं, अपीलकर्ताओं के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने वाली है। हमें बस इतना कहना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम अपीलकर्ताओं को उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की राहत के हकदार नहीं मानते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रार्थना

की है। ऐसा कहने के बाद हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि अपीलकर्ताओं को उनके जीवन के इस चरण में रोजगार के किसी भी वैकल्पिक रास्ते के बिना छोड़ दिया जाएगा। अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त नियुक्तियों की कथित धोखाधड़ी प्रकृति के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाने वाले किसी भी निष्कर्ष के अधीन, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे अपीलकर्ताओं को, जिन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है, ऊपरी आयु सीमा में छूट की एक बार की रियायत दी जा सकती है और शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित ऐसी आयु सीमा के संबंध में नियमों में छूट में अगली चयन प्रक्रिया में विचार किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ताओं को अगली चयन प्रक्रिया में अपना भाग्य आजमाने के लिए उपरोक्त एक बार की छूट होगी। अपीलकर्ता या उनमें से जो इस रियायत का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष इस आशय का एक वचनबद्धता दायर करनी होगी कि आयु छूट के अनुसरण में उन्हें दी गई नई नियुक्ति, यदि कोई हो, तो धोखाधड़ी से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ पंजीकृत आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने और कारावास की सजा दिए जाने की स्थिति में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं मानते। अपीलों का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।"

11. उम्मीद की जा सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद मुकदमे को शांत कर दिया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता के साथ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल, उसे वर्ष 2004 में एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें उसने अपने समकक्षों के साथ समानता के आधार पर नियुक्ति के लिए इस न्यायालय से अनुमति मांगी, जो प्रतिवादियों द्वारा घोषित परिणाम के

अनुसार चयन सूची में थे। हालांकि, उक्त रिट याचिका गुण-दोष के आधार पर दायर की गई थी, लेकिन इसका निपटारा प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए किया गया कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लें।

12. इस प्रक्रिया में 10 वर्ष व्यतीत हो गए, और फिर भी, याचिकाकर्ता को 09.06.2014 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 13) द्वारा उपेक्षित छोड़ दिया गया, जिसके तहत उसका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया। कोई विकल्प न होने पर उन्हें वर्ष 2015 में अपने प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के खिलाफ तत्काल याचिका दायर करके फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

13. आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता उन अभ्यर्थियों में से नहीं है, जिन्होंने 18.11.1999 को या उससे पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए वह किसी भी राहत का हकदार नहीं है। यह सही है।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता दिनांक 26.08.1999 के अनुलग्नक 3 में दिए गए परिणाम के अनुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची में था। याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 315 पर है और उससे नीचे क्रमांक 317 पर एक अभ्यर्थी था, जिसके कम अंक थे, उसे नियुक्ति दे दी गई।

15. याचिकाकर्ता हालांकि योग्यता के आधार पर नियुक्ति के हकदार थे, लेकिन यह न्यायालय इस स्तर पर देरी और कुव्यवस्था के आधार पर कोई रियायत देने में असमर्थ है। माना कि समान स्थिति वाले उम्मीदवारों में से एक यानी नीरज सक्सेना, जिन्होंने वर्ष 2003 में यानी याचिकाकर्ता से एक साल पहले इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, को न्यायालय के आदेश के तहत नियुक्ति दी गई थी। हालांकि, नीरज सक्सेना के मामले से उत्पन्न सर्वोच्च न्यायालय के बाद के फैसले के मद्देनजर, यह विशेष रूप से माना गया था कि नीरज सक्सेना के मामले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। मैं नीरज सक्सेना के मामले को मिसाल के तौर पर मानने में असमर्थ हूं और इस आधार पर याचिकाकर्ता की दलील के साथ खुद को सहमत करने के लिए उसे समानता प्रदान करने में असमर्थ हूं।

16. मैं यह भी जानता हूं कि याचिकाकर्ता वर्तमान में 52 वर्ष का है और नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा से बहुत अधिक है, लेकिन जैसा कि तत्काल आदेश की चर्चा के पिछले भाग में पहले ही दर्ज किया जा चुका है, उसे इस

न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लंबित रहने के कारण इतनी लंबी अवधि के लिए आयु में छूट नहीं दी जा सकती, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।

17. इस विमोचन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम नेमी चंद महेला एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 3873/2010 में दिनांक 30.04.2019 को निर्णीत निर्णय के पैराग्राफ संख्या 11 से 13 का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:-

> "12. हमारा ध्यान नीरज सक्सेना के मामले की ओर भी आकर्षित किया गया, जिसके मामले में राज्य सरकार द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर रिट अपील को देरी और निष्क्रियता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। खंडपीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को भी देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। नीरज सक्सेना में खंडपीठ का यह फैसला और देरी के आधार पर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना मिसाल के तौर पर कोई अनुपात निर्धारित नहीं करता है। सबसे अच्छा, नीरज सक्सेना के मामले में एकल न्यायाधीश का फैसला दानवीर सिंह के मामले की तरह ही उन विशिष्ट उम्मीदवारों पर लागू होगा जिनके मामले में फैसला रेस जुडिकाटा के रूप में काम करेगा। हालांकि, यह कैलाश चंद शर्मा के मामले (उपरोक्त) में लागू किए गए संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को लागू करने वाले अनुपात और निर्देश को नकारने और निरस्त करने का आधार नहीं होगा, जिसे बाद में मनमोहन सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पुष्टि और स्पष्ट किया गया था।
>
> 13. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि जिन उम्मीदवारों ने 17 नवंबर, 1999 को या उससे पहले रिट याचिका दायर नहीं की थी, वे चयनित उम्मीदवारों के अंकों में से बोनस अंकों को बाहर करके अंकों की पुनर्गणना पर नियुक्ति के हकदार

> नहीं होंगे। उपर्युक्त निर्देश उन व्यक्तिगत मामलों पर लागू नहीं होगा जहां रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा, यानी जिसमें एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच का निर्णय अंतिम हो गया है क्योंकि इसे डिवीजन बेंच या इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य सभी लंबित रिट याचिकाओं और अपीलों का निपटारा और निर्णय कैलाश चंद्र शर्मा, मनमोहन शर्मा के मामलों (उपरोक्त) और वर्तमान मामले में निर्णयों के आधार पर किया जाएगा, जब देरी की माफी के अधीन, उचित और संतोषजनक ढंग से समझाया गया हो।

18. उपरोक्त के आलोक में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने भी राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम राम गोपाल जग्गा (डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 99/2019) एवं अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 14.02.2020 को निर्णय लेकर विलंबित नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया। इस न्यायालय की खंडपीठ (श्री विजय बिश्नोई, जे) की ओर से बोलते हुए, क्योंकि उस समय महामहिम इस न्यायालय में थे, उन्होंने निम्नलिखित राय व्यक्त की:

> हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम नेमी चंद महेला एवं अन्य के मामले में 2019(2) डब्ल्यूएलसी (एससी) सिविल 299 में पुनः इस बात पर जोर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 17.11.1999 को या उससे पहले रिट याचिका दायर नहीं की है, वे चयनित अभ्यर्थियों के अंकों में से बोनस अंक हटाकर अंकों की पुनर्गणना करने पर नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा नीरज सक्सेना प्रकरण (उपरोक्त) में पारित दिनांक 23.01.2009 के निर्णय को भी ध्यान में रखा है तथा माना है कि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय में मिसाल के रूप में कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है तथा यह भी निर्देश

दिया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी रिट याचिकाओं एवं अपीलों का निपटारा एवं निर्णय कैलाश चंद शर्मा एवं मनमोहन शर्मा प्रकरण (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

xxxxxx

यह देखा गया है कि प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नीरज सक्सेना मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुसार अनुमति दी गई थी, हालांकि, राजस्थान राज्य बनाम नेमी चंद महेला और अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि नीरज सक्सेना (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णय मिसाल के रूप में कोई अनुपात निर्धारित नहीं करता है और केवल इस आधार पर आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जा सकता है।

विशेष अपीलों में निजी प्रतिवादी भी उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कोई राहत पाने के हकदार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 17.11.1999 को या उससे पहले इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था, क्योंकि उन्होंने रिट याचिकाएं वर्ष 2002 के बाद दायर की थीं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैलाश चंद शर्मा और मनमोहन शर्मा (उपरोक्त) के मामलों में स्पष्ट रूप से माना है कि जिन अभ्यर्थियों ने 18.11.1999 के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वे कैलाश चंद शर्मा के मामले (उपरोक्त) के संदर्भ में कोई राहत पाने के हकदार नहीं हैं।

उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हमारा मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए और निजी

प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, इन विशेष अपील रिटों को स्वीकार किया जाता है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.08.2018 के विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है और निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है।"

19. परिणामस्वरूप, मैं याचिकाकर्ता को कोई रियायत देने और याचिका स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

20. तदनुसार खारिज की जाती है।

21. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(**अरुण मोंगा**),**जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।